R. No. 29/14/AL/89-TC Gen. 04/XXV/X (110)

For Private Circulation Only

Estd. 1978

DEWAS UDYOG CIRCLE

Issue No – 418	Monthly Newsletter	March, 2024

President
Mr. Ashok Khandelia
Hon. Secretary
Mr. Ashit Gandhi

Inside pages................

Knowledge Centre
Notifications/Circulars
Events
Attainments
Member's Corner
Sponsor's Page

World Health Day

World Earth Day

ASSOCIATION OF INDUSTRIES DEWAS

1/B, 1/B/2A,I. S.Gajra Industrial Area No. 1, A. B. Road, DEWAS (M.P.) Phone: (07272) 258052–53, 259455
E-mail : aidewas123@gmail.com Website : www.aidewas.org

KNOWLEDGE CENTRE

World Health Day

World Health Day is a global health awareness day celebrated every year on 7 April, under the sponsorship of the World Health Organization (WHO), as well as other related organizations.

In 1948, the WHO held the First World Health Assembly. The Assembly decided to celebrate 7 April of each year, with effect from 1950, as the World Health Day.

World Earth Day

Earth Day is an annual event on April 22 to demonstrate support for environmental protection. First held on April 22, 1970, it now includes a wide range of events coordinated globally by EARTHDAY.ORG (formerly Earth Day Network) including 1 billion people in more than 193 countries. The official theme for 2023 is Invest In Our Planet.

Important Days in April	
April 1	Orissa Day
April 5	National Maritime Day
April 7	World Health Day
April 11	National Safe Motherhood Day
April 13	Jallian wallah Bagh Massacre Day (1919)
April 14	B. R. Ambedkar Remembrance Day
April 17	World Hemophilia Day
April 18	World Heritage Day
April 21	National Civil Service Day
April 22	World Earth Day
April 23	World Books Day
April 24	Panchayat Raj Day
April 26	World Intellectual Property Day

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

35

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/ 8621 — 870 इन्दौर, दिनांक 13 / 03 /2024

अधिसूचना

विषय: - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1) से 136(4) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001- 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 01 अप्रैल,2024 से लागू है:

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 65, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसम्बर,2023 की छः माही का औसत सूचकांक 400 रहा है, अतः इसके कारण गत छःमाही के मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (386) के ऊपर (400-386) = 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक जारी दरें निम्नानुसार रहेंगी:-

अनुसूची — अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में।)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	368.27	2225	85.58	11800	453.85	454
अर्द्धकुशल	10571	406.58	2225	85.58	12796	492.15	492
कुशल	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
उच्चकुशल	13919	535.35	2225	85.58	16144	620.92	621

अनुसूची —ब

किसी स्लेट पैंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	9575	368.27	2225	85.58	11800	453.85	454
पेकर, पटटी पेकर, सीपर	10131	389.65	2225	85.58	12356	475.23	475
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2225	85.58	15878	610.69	611
उच्चकुशल	13919	535.35	2225	85.58	16144	620.92	621
कटर्स	14444	555.54	2225	85.58	16669	641.12	641

Cont'd to next page

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

36

अनुसूची –स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के माल से) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2225	85.58	11800	453.85	454
श्रेणी एक	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
श्रेणी दो	10571	406.58	2225	85.58	12796	492.15	492
उच्च कुशल	13919	535.35	2225	85.58	16144	620.92	621
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	13856	532.92	2225	85.58	16081	618.50	619
श्रेणी दो	13473	518.19	2225	85.58	15698	603.77	604
श्रेणी तीन	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	12294	472.85	2225	85.58	14519	558.42	558
श्रेणी दो	10571	406.58	2225	85.58	12796	492.15	492

अनुसूची –क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के माल से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	319.17	2225	74.17	11800	393.33	393
अर्द्धकुशल	10571	352.37	2225	74.17	12796	426.53	427
कुशल	12294	409.80	2225	74.17	14519	483.97	484
उच्चकुशल	13919	463.97	2225	74.17	16144	538.13	538

अनुसूची –द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसम्बर,2023 छःमाही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 है, इससे पूर्व की छः माही का औसत 1180 था, जिसके कारण 56 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के माल से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	7660	255.33	1836	61.20	9496	316.53	317

Cont'd to next page

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

37

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) के औसत के उपर 2237 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2024 से 31.3.2025 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची – ई (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	106.81	22.37	129.18

नोट – एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 129.18 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रूपये 29 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रूपये 45 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रूपये 56 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 160 रूपये 48 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 27.12 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि में श्रमिकों से 13 रूपये 56 पैसे एवं नियोजकों से भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रूपये 56 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 133 रूपये 36 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) के औसत के उपर गत छःमाही में औसत सूचकांक 386 के उपर औसत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची –एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	44.25	रू. 22.25	रूपये 66.50
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	45.00	रू. 22.25	रूपये 67.25

स्पष्टीकरण :- 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर,2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

3- राज्य शासन द्वारा दिनांक 04 मार्च,2024 को जारी एवं म.प्र.असाधारण राजपत्र दिनांक 04 मार्च,2024 में प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई है।

(संजय गुप्ता)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 MAR 2024

क्रमांकः– आर/1934532/2024/तेरह/02 : प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर एक "परिसर" में एक से अधिक परिवार विभिन्न व्यावहारिक कारणों से अलग–अलग निवास करते हैं, परंतु उनके मध्य विधिक बंटवारा नहीं होने के कारण कतिपय प्रकरणों में वितरण कंपनियों द्वारा पृथक स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जाना सूचित है। इस संबंध में एक विद्युत कनेक्शन से विद्युत प्राप्त कर रहे पृथक–पृथक परिवारों को स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन दिये जाने के लिए सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के मुख्यालयों (भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर एवं शहडोल) में Pilot Project अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. पृथक परिवार की पहचान के लिए यह आधार माना जाएगा कि सामान्यतः उनका भोजन पृथक–पृथक बनता हो ।
2. ऐसे परिसर, जिनमें किरायेदार निवास कर रहे हैं, में पृथक स्वतंत्र कनेक्शन हेतु रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते मकान मालिक व किरायेदार सगे सम्बंधी न हों।

    मूल विद्युत कनेक्शन के अधीन परिवार के द्वारा पृथक कनेक्शन चाहे जाने पर मूल कनेक्शन परिवार के मुखिया के नाम करवाने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2/ उपरोक्त कार्यवाही निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

(क) उपरोक्त के लिए दो अनिवार्य अर्हताएँ होंगी –

(i) पृथक समग्र परिवार आई.डी. और
(ii) पृथक एलपीजी कनेक्शन

साथ ही, आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों की समग्र सदस्य आई.डी. एवं आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगी।

(ख) परिसर/आवेदक के विरूद्ध वितरण कंपनी की कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।

(ग) प्रायोगिक तौर पर यह कार्यवाही सभी 8 क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मुख्यालयों पर की जायेगी तथा इसकी समीक्षा मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। इस हेतु आवेदन संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को प्रेषित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर वैधता का निर्धारण सहायक अभियंता एवं स्थानीय प्राधिकारी (यथा–संबंधित नगर निगम के वार्ड प्रभारी और ग्रामीण

Cont'd to next page

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

क्षेत्र में ग्राम सहायक) की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा एवं स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के आधार पर कार्यपालन अभियंता द्वारा कनेक्शन दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(घ) प्रथमतः यह प्रायोगिक व्यवस्था छः माह के लिए लागू की जायेगी।

(ड.) उपरोक्त के अनुभवों के आधार पर योजना के विस्तार के संबंध में आगामी कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

V.K. Gaur

(व्ही.के. गौड़)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन कमांक 1934532/2024/तेरह/02 भोपाल, दिनांक 15 MAR 2024

प्रतिलिपि–

1. प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ई–4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला भोपाल/ग्वालियर/उज्जैन/इंदौर/जबलपुर/रीवा/सागर/शहडोल मध्यप्रदेश।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
4. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल/ग्वालियर/उज्जैन/इंदौर/जबलपुर/रीवा/सागर/शहडोल।

– कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

V.K. Gaur

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

M.P. POWER MANAGEMENT COMPANY LIMITED

CIN: U40109MP2006SGC018637 (A Government of MP Undertaking)
Regd. Office: Shakti Bhawan, Rampur Jabalpur Madhya Pradesh INDIA 482 008. Tel: 0761-2661111, 2660500, Fax: 0761 – 266 696,
Website: www.mppmcl.com email: md@mppmcl.com

No. CCM (RM)/FPPAS/23-24/ 637 /Jabalpur/Dated 24/03/2024

To

1. The Managing Director
M.P. Paschim KVV Co. Ltd.
G.P.H Compound, Polo Ground,
Indore (M.P)

2. The Managing Director
M.P. Madhya KVV Co. Ltd.
Bijli Nagar Colony, Nishtha Parisar, Govindpura,
Bhopal (M.P)

3. The Managing Director
M.P. Poorv KVV Co. Ltd.
Block No.7, Ground Floor, Shakti Bhawan,
Jabalpur (M.P)

Sub: - Fuel & Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) for the Month of March-2024.

Ref: - First Amendment to MPERC (Terms and Conditions for Determination GM of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) (1st Amendment) Regulation, 2021 {ARG-at 35(II) (i) of 2023}

As per the formula specified under MPERC Regulations cited under reference, the FPPAS for the month of March 2024 has been calculated as 1.03 %. However, for the month of Oct, Nov and Dec-2023 the FPPAS calculated was negative in value and as clarified by the MPERC that the advantage accruing to the licensee on account of reduced cost of Fuel/ power purchase has to be passed on to the consumers, accordingly the positive FPPAS for the month of Jan-2024@ 2.06% & for the month of Feb-24 @ 3.00% was adjusted against the negative FPPAS of the previous months. After adjusting the positive FPPAS for Jan-24 & Feb-24, the cumulative balance FPPAS would be (-) 5.75% and the same will be adjusted against the calculated positive FPPAS @ 1.03% for the month of March-24.

Therefore, (-) 4.72 % (1.03% - 5.75%) FPPAS is to be billed to the consumers on energy charge for one month commencing 24th March 2024 in accordance with the

Cont'd to next page

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

M.P. POWER MANAGEMENT COMPANY LIMITED
CIN: U40109MP2006SGC018637 (A Government of MP Undertaking)
Regd. Office: Shakti Bhawan, Rampur Jabalpur Madhya Pradesh INDIA 482 008. Tel: 0761-2661111, 2660580, Fax: 0761 – 2661696,
Website: www.mppmcl.com email: md@mppmcl.com

Regulations and as decided by the competent authority. A detailed calculation sheet is attached herein for your reference and uploading the same on the website of the company to comply with provisions of the Regulations.

Encl.: As above

(Shailendra Saxena)
Chief General Manager (RM)
MPPMCL JABALPUR

Copy to: -

1. OSD, Energy Deptt, GoMP, Bhopal
2. The Secretary, MPERC, Metro Plaza, Bittan market, Arera Colony, Bhopal
3. PS to MD.MPPMCL. Jabalpur.
4. The Chief General Manager, Commercial (Conv.)/(Non-Conv.) MPPMCL
5. Chief Financial Officer, MPPMCL, Jabalpur
6. Director (Commercial) / CGM (Commercial) MPPoKVVCL / MPMaKVVCL / MPPaKVVCL, Jabalpur/Bhopal/Indore- A copy of FPPAS calculation sheet is enclosed for uploading on the Company's website.
7. The CGM (IT) MPPMCL, Jabalpur -

   A copy of FPPAS calculation sheet is enclosed for uploading on the Company's website.

Encl.: As above

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

61B, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर–452007
दूरभाष : 0731-2432822 फैक्स : 0731-2536600
ई–मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 2024 जारी किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के संसदीय क्षेत्रों में दिनांक 19.04.2024(शुक्रवार), 26.04.2024(शुक्रवार), 07.05.2024(मंगलवार), एवं 13.05.2024 (सोमवार) को निम्नानुसार मतदान होगाः–

क्र.	मतदान की तिथि	संसदीय क्षेत्र क्रमांक	संसदीय क्षेत्र का नाम
1.	19.04.2024	11,12,13,14,15,16	सीधी,शहडोल,जबलपुर,मंडला,बालाघाट छिन्दवाडा
2.	26.04.2024	6,7,8,9,10, 17,29	टीकमगढ,दमोह,खजुराहो,सतना,रीवा, होशंगाबाद, बैतूल
3.	07.05.2024	1,2,3,4,5,18,19,20	मुरैना,भिण्ड,ग्वालियर,गुना,सागर,विदिशा, भोपाल,राजगढ
4.	13.05.2024	21,22,23,24,25,26,27,28	देवास,उज्जैन,मंदसौर,रतलाम,धार,इंदौर, खरगोन,खंडवा

Satna News Breaking

इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट क्रमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16.03.2024 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 20/चार/2024/3277–78 दिनांक 16.03.2024 में अवगत कराया गया कि लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 की धारा 135–ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश हैं तथा यह उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि (Substantial) स्वेद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे।

इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दण्ड के प्रावधान है।

अतएव प्रदेश में लोकसभा के आम निर्वाचन 2024 के संसदीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उमक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

20/03/2024

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

निरंतर–2

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

//-2-//

क्रमांक:– 9/27/तीन/2018/10071-155 इन्दौर, दिनांक 20/03/2024

प्रतिलिपि–

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, जनसम्पर्क भवन, भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रति सहित। कृपया प्रदेश के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिलाध्यक्ष एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, इंदौर की ओर समस्त मीडिया में प्रकाशनार्थ।
10. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

20/03/2024

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

Satna News Breaking

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

दूरभाष : 0731-2432822 फैक्स : 0731-2536600
ई-मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

क्रमांकः– 9/ 27/तीन/2024/ इन्दौर, दिनांक 16/03/2024

परिपत्र

भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट क्रमांक **ECI/PN/23**/2024 दिनांक 16.3.2024 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में विभिन्न चरणों में निम्नानुसार तिथियों को मतदान होना है–

क्रमांक	राज्य का नाम	मतदान दिनांक
1.	उत्तर प्रदेश	19.4.2024, 26.4.2024, 07.5.2024, 13.5.2024, 20.5.2024, 25.5.2024, 01.6.2024
2	राजस्थान	19.4.2024, 26.4.2024
3	महाराष्ट्र	19.4.2024, 26.4.2024, 07.5.2024, 13.5.2024, 20.5.2024
4	गुजरात	07.5.2024
5	छत्तीसगढ़	19.4.2024, 26.4.2024, 07.5.2024

निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों में व्यवसाय,व्यापार औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थापनाओं के ऐसे नियोजित कामगार जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान,गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मतदाता है, उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार,व्यवसाय,औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। धारा 135 (ख) निम्न उद्धत है:–

"135 ख–मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी:–

1. किसी कारोबार, व्यवसाय,औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
2. उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नही की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होगी।
3. यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे नियोजक से जुर्माना जो 500/– तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नही होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

–2.

Cont'd to next page

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

//2//

अतः मध्यप्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी स्थापनाओं के नियोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो उक्त पांचों राज्यों के पंजीकृत मतदाता है उन्हें लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवसों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें, ताकि उनके मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

26/03/2024

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांकः– 9/ 27/तीन/2024/10399-542 इन्दौर, दिनांक 26/03/2024

प्रतिलिपि–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कानपुर (उत्तर प्रदेश) जयपुर (राजस्थान), मुंबई (महाराष्ट्र), गांधीनगर (गुजरात), रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, 58 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, जनसम्पर्क भवन, भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रति सहित। कृपया प्रदेश के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशन हेतु प्रेषित।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त जिलाध्यक्ष एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, /श्रम पदाधिकारी/सहा श्रम पदाधिकारी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/03/2024

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(प्लाट नं.–35–ए, पंजीयन भवन, जिला न्यायालय के पीछे, अरेरा हिल्स, भोपाल)

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2024

क्रमांक 01 /गाइडलाइन/2024, लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के नियम–12 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्ष 2023–24 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइड लाइन की समयावधि आगामी आदेश तक बढ़ाई जाती है।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक 19 /गाइडलाइन/2024 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2024

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परियोजना अधिकारी, 'सम्पदा' परियोजना प्रबंधन इकाई, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

EVENTS

VIRTUAL BHUMI POOJAN AND LAYING THE FOUNDATION STONE OF UPCOMING INDUSTRIES M/S NAVKAR TECHTEX LIMITED AND M/S MANGLA ENGINEERING LIMITED

Government of M.P. organized a program **Regional Industrial Conclave 2024** on 01.03.2024 and 02.03.2024 at Government Engineering collage Ujjain M.P. Hon'ble chief Minister of MP Dr. Mohan Yadav was present as the chief Guest in this program. He virtually attended the Bhumi Poojan program of the Industries M/S Navkar Techtex Limited And M/S Mangla Engineering Limited and also laid the foundation stone. Other dignitaries (Shrimant Gayatri Raje Puar, M.L. A. Dewas, and Shri Rajeev Khandelwal BJP President Dewas city, Shri Durgesh Agrawal representative of Mahapor / Vidhayak and Bharat Choudhary representative of MLA) also attended this dignified program.

"NIDHI APKE NIKAT 2.0"

"Nidhi Apke Nikat 2.0" program was organized by RPFC at M/s Kirloskar Brothers Limited on 27.03.2024. In this program, the problems related to KYC/ Full & final/ Pension of employers and the employees were resolved.

"The most important thing in communication is hearing what isn't said"
- Peter Ducker

With Best Compliments from

Published by Ashit Gandhi for & on behalf of the Association of Industries Dewas
1/B/1, 1/B/2A, Industrial Area No. 1, A. B. Road, Dewas—455 001 E-mail: aidewas123@gmail.com
Website: www.aidewas.org